क्रमांक 6/13/93-2 जी0 एस0 I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांव मण्डल ।
2. सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य ।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 19 मई, 1994

विषय:- सभी श्रेणी III के तदर्थ व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहने का निर्देश हुआ है कि कुछ समय से श्रे III के तदर्थ व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का मामला सरकार के विचाराधीन था और अब त व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय ले लिया गया है । इस सम्बन्ध में जारी की गई सरक अधिसूचना सं0 सा0 का0 नि0 39/संवि0/अनु0 309/94, दिनांक 11 मई, 1994 आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भे जाती है ।

2. तदर्थ व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने से विभागों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या परिवर्तन आएगा जिसका प्रभाव अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा को विज्ञापित कराने के लिये भेजी गई रिक्ति पर पड़ेगा । अतः जहां यदि रिक्तियां विज्ञापित नहीं की गई हों तो मांग पत्र अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरिया से वापिस ले लिया जाए और रिक्तियों की ताजा गणना करके नया मांग पत्र अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरिय को भेजा जाए ।

भवदीय,
हस्ता/-
संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशास
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरक

एक प्रति हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं0 सा0 का0 नि0/39/संवि0/अनु0 309/94, दि 11 मई, 1994 की प्रति ।

143

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA) MAY 11, 1994 (VYSK 21, 1916 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य सेवाएं I)

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 1994

सं0 सा0 का0 नि0 39/संवि0/अनु0/309/94.—हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं अधिसूचना संख्या 523-3 जी0 एस0-70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970, के खण्ड 6 के परन्तुक के साथ पठि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वा सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन (सामान्य सेवाएं I) अधिसूचना सं0 सा का0 नि0/31/संवि0/अनु0/309/93, दिनांक 1 जून, 1993, के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा व III के ऐसे पद, जिन्हें 31 मार्च, 1993, को वर्ग III के कर्मचारियों ने कम से कम दो अथवा पांच वर्ष की सेवा अव के लिए तदर्थ अथवा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी धारण करते हैं, अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा के कार्यक्षेत्र बाहर निकालने के लिए विनिर्दिष्ट करते हैं और उनकी सेवाएं नियमित की जायेंगी यदि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते अर्थात् :—

(i) तदर्थ कर्मचारी (i) केवल ऐसे तदर्थ कर्मचारी जो 31 मार्च, 1993 को 2 वर्ष की तदर्थ सेवा पू करते हैं नियमित किए जाएंगे। तथापि तदर्थ आधार पर की गई सेवा में एक मास तक की अवधि ब्रेक उपमर्षित कर दिया जाएगा। किसी तदर्थ कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से छोड़ दी गई सेवा जहां तदर्थ नियुक्ति केवल उस पद या रिक्ति के विरुद्ध थी जिसके लिए कोई नियमित नियुक्ति करना अपेक्षित अथवा आशयित नहीं था या अवकाश रिक्ति के विरुद्ध थी या अन्यथा थोड़े समय के लिए भ जानी थी के कारण हुई ब्रेक की एक मास की अवधि तक को छोड़ कर उपमर्षित नहीं कि जाएगा।

(ii) कर्मचारियों ने 31 मार्च, 1993, को दो वर्ष की तदर्थ सेवा पूरी कर ली हो और 31 मार्च 1993 को सेवा में थे ;

(iii) कर्मचारी संगत प्रवर्गों के पदों अथवा रिक्तियों के विरुद्ध नियमित किए जाएंगे। सामान्य वर्ग के कर्मचा अपने कोटे से अधिक इस अनुबन्ध के साथ नियमित किए जाएंगे कि भविष्य में की जाने वाली भर्तियों केवल आरक्षित प्रवर्गों के उम्मीदवार ही उस समय तक नियुक्त किए जाएंगे, जब तक कि वे सामान्य के तदर्थ कर्मचारियों द्वारा आरक्षित वर्गों की रिक्तियों के भरे जाने से उत्पन्न होने वाली पिछली क पूरी नहीं हो जाती :

(iv) कर्मचारी रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती हुए हों अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रोजगार कार्या से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद सीधे तौर पर नियुक्त किए गए हों ;

(v) ऐसे कर्मचारियों का कार्य तथा आचरण समूचे तौर पर अच्छे प्रवर्ग का हो और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित न हो ; और

(vi) कर्मचारी तदर्थ आधार पर अपनी नियुक्ति के समय पदों के लिए विहित योग्यताएं र हों।

(Authorised English Translatic

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(GENERAL SERVICES I)

Notification

The 11th May, 1994

No. GSR/39/Const./Art/309/94—In exercise of the powers conferred by the proviso article 309 of the Constitution of India read with the proviso to clause 6 of Haryana Governme General Administration Department, (General Services), Notification No. 523 3GS-70/2068, dat the 28th January, 1970 and all other powers enabling him in this behalf and insupersession Haryana Government, General Administration (General Services-I), Notification No. GSR/31/Cons Art./309/93, dated the 1st June, 1993, the Governor of Haryana hereby specifies such class III posts have been held for a minimum period of two or five years on the 31st March, 1993, by class I employees on *ad hoc* or daily wages basis to be taken out of the purview of the Subordinate Servic Selection Board, Haryana and their services shall be regularised if they fulfill the following conditior namely :—

1. **Ad hoc Employees** :—(i) that only such *ad hoc* employees as have completed a minim of two year's service on 31st March, 1993, should be made regular. However, bre in service render on *ad hoc* basis upto a period of one month may be condoned excludi breaks occurring because of the concerned employee having left service of his o voiltion or where the *ad hoc* appointment was against a post or vacancy for which regular recruitment was required or intended to be made, i.e. leave arrangeme or filling up of other short time vacancies, may not be condoned ;

   (ii) that the employees have completed two years service on the 31st March, 1993, and w in service on the 31st March, 1993 ;

   (iii) that the employees shall be regularised against the posts or vacancies of releva categories. The employees of general category may be regularised in excess of th quota with the clear stipulation that in furture recruitments, only the candidates fr reserve categories will be appointed until the back log arising out of utilisation of rese category vacancies by general category *ad hoc* employees is cleared ;

   (iv) that the employees should have been recruited through the Employment Exchange directly appointed by the appointing authority after obtaining the non-availabi certificate from the Employment Exchange ;

   (v) that the work and conduct of such employees shall be of over all good category and disciplinary proceedings are pending against them; and

   (vi) that the employees possessed the prescribed qualification for the post at the time of th appointment on *ad hoc* basis.

2. **Daily Rated Employees** (i).—The Government had issued instructions dated 27th M 1993 for regularisation of services of all the work-charged, casual and daily wager e ployees who had completed 5 years service on 31st March, 1993. In the reference these instructions the regularised employees were entitled to the lowest Group D scale pay and all other allowances and benefits available to regular Government employee But it has come to the notice of Government in some departments daily wagers al o working on class III posts such as Clerks, Steno-typist and Drivers etc. T question whether such daily wagers should be regularised in Group D or Group C sc has been engaging the attention of Government for sometime past and after careful con deration it has now been decided that daily wagers who had completed 5 years service class III posts on 31st March, 1993 and were in service on 31st March, 1993 should